संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार इन्दौर समाचार पृष्ठ 03 दिनांक 04/03/2021

इन्दौर-4

स्वच्छता अपनाएंगें, रतलाम शहर को नम्बर-1 बनाएगे

- स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के तहत सैकड़ों खिलाडियों ने लिया - स्वच्छता का संकल्प, फीडबैक में भी बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया

रतलाम। हम इस शहर के रहवासी है। शहर ने हमे बहुत कुछ दिया और अब हमें शहर को कुछ देना है। ऐसे में आज ये संकल्प लेते है कि हम सभी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपनी भागीदारी निभाएगे।

हम न खुद गंदगी करेंगे और ना ही दूसरों को करने देंगे। हम सभी का प्रयास रहेगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत सकारात्मक फीडबैक देंगे और हमारे रतलाम को स्वच्छ सर्वेक्षण में नम्बर-1 बनाने का प्रयास करेंगे। यह संकल्प मंगलवार सुबह कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में सैकड़ों खिलाडियों ने लिया। इस मौके पर वरिष्ठ खेल प्रशिक्षक व राष्ट्रीय खेल निर्णायक अमानत खान ने उपस्थित खिलाडियों को स्वच्छता का शपथ दिलाई। नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश पर सफाई मित्र समूह के बैनर तले आयोजित यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग की वरिष्ठ पर्यवेक्षक श्रीमती एहतेशाम अंसारी, श्रीमती वनिता सिंधु, श्रवण यादव के मार्ग दर्शन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिवपुर में आयोजित मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय 10 हजार मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाली हेमलता मुंदड़ा, जयश्री बिलवा, कृपाली पाल, हेमलता रैंगा और मधुबाला यादव को नगर निगम की ओर से शील्ड व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर खेल प्रशिक्षक श्री अमानत खान ने कहा कि नगर पालिक निगम का अमला सफाई व्यवस्था को लेकर सजग है विशेषकर नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया खुद स्वच्छता के मामले को गंभीरता से ले रहे है। उन्ही के प्रयासों से रतलाम के कई कोनो और हिस्सों में कई दशको से जमा अस्थायी कचरा स्थलों को साफ करवाया है जहां दोबारा कचरा न डाला जाए इसके लिए रंगोली का निर्माण और दीपदान कराया जा रहा है। रंगोली और दीपदान नागरिकों के साथ ही इधर-उधर कचरा फेकने वालों में भी सकारात्मक भाव भर रहे है। कार्यक्रम का संचालन श्रवण यादव ने किया और आभार प्रदर्शन श्रीमती एहतेशाम अंसारी ने माना।

स्वच्छता अपनाएंगें, रतलाम शहर को नम्बर-1 बनाएंगे

स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम के तहत सैकड़ों खिलाडियों ने लिया

सिवम रिपोर्टर ▢ रतलाम

हम इस शहर के रहवासी है। शहर ने हमे बहुत कुछ दिया और अब हमे शहर को कुछ देना है। ऐसे में आज ये संकल्प लेते है कि हम सभी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपनी भागीदारी निभाएगे। हम न खुद गंदगी करेंगे और ना ही दूसरों को करने देंगे। हम सभी का प्रयास रहेगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत सकारात्मक फीडबैक देंगे और हमारे रतलाम को स्वच्छ सर्वेक्षण में नम्बर-1 बनाने का प्रयास करेंगे।

यह संकल्प मंगलवार सुबह कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में सैकड़ों खिलाडियों ने लिया। इस मौके पर वरिष्ठ खेल प्रशिक्षक व राष्ट्रीय खेल निर्णायक अमानत खान ने उपस्थित खिलाडियों को स्वच्छता का शपथ दिलाई। नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश पर सफाई मित्र समूह के बैनर तले आयोजित यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग की वरिष्ठ पर्यवेक्षक श्रीमती एहतेशाम अंसारी, श्रीमती वनिता सिंधु, श्रवण यादव के मार्ग दर्शन में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर शिवपुर में आयोजित मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय 10 हजार मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाली हेमलता मुंदड़ा, जयश्री बिलवा, कृपाली पाल, हेमलता रैंगा और मधुबाला यादव को नगर निगम की ओर से शील्ड व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर खेल प्रशिक्षक श्री अमानत खान ने कहा कि नगर पालिक निगम का अमला सफाई व्यवस्था को लेकर सजग है विशेषकर नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया खुद स्वच्छता के मामले को गंभीरता से ले रहे है। उन्ही के प्रयासों से रतलाम के कई कोनो और हिस्सों में कई दशकों से जमा अस्थायी कचरा स्थलों को साफ करवाया है जहां दोबारा कचरा न डाला जाए इसके लिए रांगोली का निर्माण और दीपदान कराया जा रहा है। रांगोली और दीपदान नागरिकों के साथ ही इधर-उधर कचरा फेकने वालों में भी सकारात्मक भाव भर रहे है। कार्यक्रम का संचालन श्रवण यादव ने किया और आभार प्रदर्शन श्रीमती एहतेशाम अंसारी ने माना।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–उपग्रह–पृष्ठ 08 दिनांक 04/03/2021

दै.वे.भो. कर्म. के नियमितिकरण की दिशा में प्रशासन ने काम करना शुरू किया

रतलाम। लंबे समय से नगरीय निकाय में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में प्रशासन ने काम करना शुरू कर दिया है। सरकारी आदेश जारी हो गए हैं जिससे जिले में करीब तीन हजार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण किया जाएगा।

लंबे समय से नगर निगम व अन्य निकायों में काम करने वाले वे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, वे शासन से उनके नियमितिकरण की मांग कर रहे थे। इसके लिए कुछ कर्मचारी कोर्ट भी गए थे व जीतकर आने के बाद उनको नियमितिकारण में शामिल किया गया था अब सरकार ने जो शेष कर्मचारी रहे हैं उन सभी को भी नियमित करने की दिशा में काम की शुरुआत कर दी है

नगरीय प्रशासन व विकास विभाग के संयुक्त संभागीय संचालक इस सम्बंध में 25 फरवरी को आदेश जारी किये हैं। इसके अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पड़े पद को भरने के लिए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इसके लिए स्थायी कर्मियों को सेवा के अधिक अवसर देने के लिए समिति का गठन किया जाएगा इसके लिए समिति द्वारा प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर व परियोजना अधिकारी को भेजा जायेगा

जिले में करीब तीन हजार कर्मचारियों को इस निर्णय से सीधे लाभ होगा। अकेले रतलाम नगर निगम में ही 1500 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अलग-अलग रूप में काम करते हैं। उपग्रह-5

कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड द्वारा जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आगामी 2 माह तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी किए गए आदेश के अनुसार सभी शासकीय कार्यालयों में मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। संपूर्ण नगरी क्षेत्रों में मास्क का उपयोग ना किए जाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाकर 100 रुपए का स्पॉट फाइन किया जाएगा और उसे 2 मास्क के दिए जाएंगे। चालानी कार्रवाई हेतु राजस्व पुलिस तथा नगरीय निकायों के अधिकारी, कर्मचारी अधिकृत रहेंगे। कोरोना से अधिक प्रभावित राज्यों जैसे महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की बॉर्डर पर ही चैकिंग की जाकर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।

रेलवे स्टेशन पर आने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। मास्क नहीं पहनने वाले से 100 रुपए अर्थदंड हेतु रेलवे के अधिकारियों, कर्मचारियों को अधिकृत किया गया है।

बस स्टैंड पर आने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बस ऑपरेटर बस में बैठे सभी यात्रियों को मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराएंगे। शादी समारोह में आने वाले सभी व्यक्ति मास्क का उपयोग करेंगे, साथ ही कैटरर्स एवं अन्य सर्विंग स्टॉफ आदि के कोरोना टेस्ट किए जाने के पश्चात ही कार्य पर लिया जाएगा।

इस बात का विशेष ध्यान संबंधित ठेकेदार, गार्डन संचालक द्वारा रखा जाएगा। मेले अथवा सार्वजनिक आयोजन के लिए एसडीएम तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर मौके की स्थिति अनुसार एसडीएम द्वारा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर आदि की अनिवार्यता के साथ अनुमति दी जाएगी। बैंकों तथा सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले के सभी संचालकों, दुकानदारों एवं ग्राहकों को फिजिकल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। आदेश का पालन नहीं किए जाने पर भारतीय दंड संहिता 18 60 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्रसारण

सीएम हेल्पलाईन अंतर्गत लंबित प्रकरणों में संतुष्टिपूर्वक समाधान करें-कलेक्टर

रतलाम। कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड की अध्यक्षता में समयसीमा समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्टोरेट सभाकक्ष में किया गया। कलेक्टर द्वारा जिले में विभिन्न विभागों में सीएम हेल्पलाईन के लंबित प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए गए। जिले में सौ दिन से अधिक और तीन सौ दिन से अधिक लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने को कहा। इसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाईन एंट्रीब्युट तथा जनसुनवाई के प्रकरणों को निराकरण करने के निर्देश दिए गए। 5446-4

ग्रीष्मकाल में पेयजल समस्या के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित

रतलाम । ग्रीष्मकाल में जिले में पेयजल समस्या के त्वरित निराकरण के लिए कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड के निर्देश पर जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री पी.के. गोगादे ने बताया कि नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07412-270439 है। नियंत्रण कक्ष प्रात: 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक कार्य करेगा।

जिला स्तरीय कंट्रोल रूम पर श्री गजेंद्रसिंह, श्री दिलीप सोलंकी, श्रीमती रुचिसिंह, श्री आर.के. खरे, श्री अशोक जोहरी की तैनाती की गई है। इसी प्रकार तहसील आलोट के लिए उपयंत्री श्री के.एन. कुमावत मोबाइल नंबर 94 240 47340, तहसील ताल के लिए उपयंत्री श्री बी.एल. बिंडोरिया मोबाइल 9424 88 4525, तहसील जावरा के लिए उपयंत्री श्री इरफान अली मोबाइल 94259 37171, तहसील पिपलोदा के लिए उपयंत्री श्री विजय शर्मा मोबाइल 99815 30705 से किसी भी समस्या पर संपर्क किया जा सकता है।

इसी प्रकार तहसील रतलाम के लिए सहायक यंत्री श्री सुखराम मेड़ा मोबाइल 84356 44081, उपयंत्री श्री अर्पित चतर मोबाइल 93401 66238, उपयंत्री श्री एम.के. पंडित मोबाइल 708900 815 से संपर्क किया जा सकता है। तेज-4

पैलेस रोड पर छह साल पहले बनी पुलिया क्षतिग्रस्त, गुजरना खतरनाक हुआ

रतलाम | ये क्षतिग्रस्त पुलिया नगर निगम के दफ्तर के पास पैलेस रोड की है। नगर निगम ने इसका निर्माण करवाया था ताकि पुलिया चौड़ी हो और आवागमन में सुविधा हो। दिसंबर 2014 में निर्माण पूरा हुआ था। लेकिन सवा छह साल में ही पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। फोटो | चिंटू मेहता

नगरीय निकाय चुनाव • चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक कल प्रस्तावित

219843 मतदाता चुनेंगे नगर सरकार, 5 साल में 35 वार्ड में 24025 बढ़े, 14 में 3595 घट गए

कल हो सकती है तारीख की घोषणा, आगे बढ़ने की भी संभावना

भास्कर संवाददाता | रतलाम

पांच साल में शहरी सीमा में 24025 मतदाता बढ़ गए हैं। ये इजाफा भी 49 में से 35 वार्ड में हुआ है। इसके उलट 14 वार्ड ऐसे भी हैं जिनमें बढ़ने की बजाए 3595 मतदाता घट गए हैं। निर्वाचन विभाग ने बुधवार को अंतिम सूची जारी कर दी है। अब शहर के 219843 मतदाता नगर सरकार चुनेंगे। फाइनल सूची जारी होने के बाद पार्षद और महापौर पद की दावेदारी कर रहे नेताओं ने वोटों का गणित लगाना शुरू कर दिया है। पार्टियों ने भी तैयारी शुरू कर दी है लेकिन चुनावी सरगर्मी इसलिए दिखाई नहीं दे रही क्योंकि तारीख की घोषणा नहीं हुई है। मार्च-अप्रैल में चुनाव की संभावना है। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक 6 मार्च को भोपाल में होना है।

किस वार्ड में कितने वोटर घटे

वार्ड	मतदाता
3	633
12	255
13	778
14	133
32	353
33	82
34	45
35	250
38	19
39	383
40	388
41	136
43	35
46	105

पांच साल बाद वार्ड मतदाताओं की स्थिति -

वार्ड	2014	2021	वार्ड	2014	2021	वार्ड	2014	2021
1	4705	5254	18	4296	4677	35	3072	2822
2	3733	5455	19	5747	7653	36	2962	3217
3	5032	4399	20	3978	5058	37	4353	4817
4	4210	4636	21	2895	3372	38	3656	3637
5	4627	6065	22	4240	4975	39	3625	3243
6	3712	4628	23	4030	4098	40	3320	2932
7	5381	5553	24	4540	5766	41	3678	3542
8	5283	7693	25	4197	4828	42	3110	3126
9	5391	6844	26	3786	4293	43	3040	3005
10	4572	5707	27	4696	6130	44	3931	3469
11	4132	5485	28	2654	3879	45	4246	4530
12	4389	4134	29	4051	5581	46	4242	4137
13	4780	4002	30	3825	4463	47	4590	4758
14	3741	3608	31	3524	4114	48	3209	4132
15	4086	4374	32	2960	2607	49	3288	3491
16	3588	4148	33	4604	4522	योग	195818	219843
17	2620	3136	34	3491	3446			

भाजपा - 40 से ज्यादा वार्ड और महापौर की कुर्सी कब्जाने की रणनीति है। 4 फरवरी को मुख्यमंत्री निगम का पांच साल का रोडमैप देखकर कई लोक लुभावनी घोषणा कर गए हैं। 5 मार्च को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी आ रहे हैं।

कांग्रेस - 6 महापौर सहित 152 से ज्यादा उम्मीदवार शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया को लिखित में दावेदारी जता चुके हैं। फरवरी में जिला प्रभारी प्रियवृत सिंह, सह प्रभारी पुष्पा भारती रायशुमारी कर चुके हैं।

अब वार्ड वार आकलन कर रहे हैं

अंतिम मतदाता सूची में 219843 मतदाता हैं। दावे-आपत्तियों के अनुसार कुछ-कुछ सुधार हुआ है। फिर भी वार्ड वार आकलन कर रहे हैं। पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है, जल्द ही गाइडलाइन भी आ जाएगी।

दिनेश शर्मा, भाजपा नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी

अधिक से अधिक वार्ड जीतना लक्ष्य

अधिक से अधिक वार्ड जीतना लक्ष्य है, इसलिए जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा। प्रभारी और सहप्रभारी रायशुमारी कर चुके हैं। तारीख घोषित होते ही उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देंगे।

महेंद्र कटारिया, कांग्रेस अध्यक्ष

भास्कर

वृदांवन बैकरी से 40 किलो पॉलीथीन जब्त कर 5000 का जुर्माना किया

- 14 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन कर 13 किलो पॉलीथीन जब्त - 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित - उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

प्रकाश न्यूज * रतलाम

शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किए जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

निर्देशानुसार निगम का स्पॉट फाईन दल द्वारा सज्जन मिल रोड स्थित वृंदावन बैकरी पहुंचने पर संचालक द्वारा पॉलीथीन जब्त करने में असहयोग करने पर कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह व स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधित से 40 किलो पॉलीथीन जब्त कर 5000/- का जुर्माना किया।

इसके अलावा तेजराम स्टेशन रोड़ पर 1500, लक्की जवाहर नगर पर 500, मन्नालाल गांधी नगर पर 300, अजय सिंह, सुनील, रितेश दीनदयाल नगर, गोपाल स्टेशन रोड़, गौरव, पुष्पेन्द्र डाट की पुल व 4 अन्य पर पर 250-250 रूपए का जुर्माना कर भविष्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईश दी गई व लगभग 13 किलो पॉलीथीन जब्त की गई।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल-फ्रुट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते है, तो उन पर 50 रूपए का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह दुकानदारों द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है, तो उस पर 5000/- रूपए का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जाएगी।

नगर के नागरिक, दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है कि वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान व पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किए जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

---

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथिन उपयोग प्रतिबंधित

वृदांवन बैकरी से 40 किलो पॉलीथिन जब्त कर 5000 का जुर्माना किया

14 व्यक्तियों प्रर स्पॉट फाइन कर 13 किलो पॉलीथिन जब्त की गई

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

निर्देशानुसार निगम का स्पॉट फाईन दल द्वारा सज्जन मिल रोड स्थित वृंदावंन बैकरी पहुंचने पर संचालक द्वारा पॉलीथीन जब्त करने में असहयोग करने पर कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त के निर्देशानुसार पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह व स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधित से 40 किलो पॉलीथीन जब्त कर 5000/- का जुर्माना किया। इसके अलावा तेजराम स्टेशन रोड पर 1500, लक्की जवाहर नगर पर 500, मन्नालाल गांधी नगर पर 300, अजय सिंह, सुनील, रितेश दीनदयाल नगर, गोपाल स्टेशन रोड़, गौरव, पुष्पेन्द्र डाट की पुल व 4 अन्य पर पर 250-250 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईश दी गई व लगभग 13 किलो पॉलीथीन जब्त की गई।

न आपत्ति आई न सुझाव

अब गाइड लाइन में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव जाएगा भोपाल, प्रदेश स्तरीय समिति लगाएगी मुहर

शहर की 46 कॉलोनियों की गाइड लाइन बढ़ने से महंगें होंगे मकान-प्लाट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. जिला स्तरीय समिति की बैठक में पंजीयन विभाग ने वर्ष 2021 की गाइड लाइन के संबंध में वर्तमान पंजीयन दरों में 21.79 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। जिस पर एक सप्ताह में आम नागरिकों के सुझाव प्राप्त कर अंतिम निर्णय जाना था, लेकिन गुरुवार शाम तक न तो किसी ने आपत्ति दर्ज कराई और ही किसी प्रकार के परिवर्तन को लेकर कोई सुझाव दिए। ऐसे में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावित बढ़ोत्तरी की दर को स्वीकृति के लिए प्रदेश स्तरीय समिति को भेजेंगे। वहां पर स्वीकृति की मुहर लगने के बाद गाइड लाइन में बढ़ोत्तरी हो जाएगी।

जिले के शहरी क्षेत्रों में 21.9 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 21.68 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव आगामी गाइडलाइन हेतु किया गया है। इसमें जिले की कुल 56 शहरी तथा 46 ग्रामीण क्षेत्र की नवीन लोकेशन जोड़ जाएगी। जिन कॉलोनियों में वर्तमान वर्ष भी गाइड लाइन की दरों से 2 से 3 गुने अधिक में रजिस्ट्री हुई है, उन कॉलोनियों में 50 प्रतिशत तक की औसत वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

रतलाम शहर, ताल, जावरा शहर की कुल 317 लोकेशन एकदम सघन आबादी वाले क्षेत्रों में आ गई है। इन क्षेत्रों में कृषि भूमि नहीं होने से कृषि भूमि की दर हटा दी गई है।

रतलाम शहर कि 46 कॉलोनियों में वृद्धि प्रस्तावित की गई है इनमें से 11 कॉलोनियों में 35 प्रतिशत की, 5 कालोनियों में 40 प्रतिशत, 10 कॉलोनी में 50 प्रतिशत, अन्य 10 कॉलोनियों में 6 प्रतिशत, 5 कॉलोनियों में 70 प्रतिशत तथा अन्य 5 कॉलोनियों में 80 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी।

भोपाल भेजेंगे

गाइडलाइन को लेकर सुझाव व आपत्ति के लिए एक सप्ताह का समय दिया था। गुरु वार को अंतिम दिन तक किसी प्रकार की आपत्ति व सुझाव नहीं आए हैं। बीते पांच साल में गाइड लाइन बढ़ने की बजाय 20 प्रतिशत की कमी हुई है। जो गाइड लाइन तय की है। उससे अधिक में रजिस्ट्री हो रही है। चार दिन में प्रस्तावित गाइडलाइन प्रदेश स्तरीय समिति को स्वीकृति के लिए भेज दें। **प्रभात वाजपेयी**, जिला पंजीयक, रतलाम।

पत्रिका

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार राज एक्सप्रेस पृष्ठ 02 दिनांक 05/03/2021

बैठक संपन्न वार्ड 7 और 17 को जीरो वेस्ट बनाने से होगी शुरूआत, स्वच्छता दीदी जाकर करेंगी गीले-सूखे कचरे का पृथक्कीकरण

शहर के वार्डो को जीरो वेस्ट बनाने की तैयारियां शुरू

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत रतलाम शहर को स्वच्छता की दौड़ में अव्वल बनाने के प्रयासों के चलते नगर निगम शहर के वार्डों को जीरों वेस्ट बनाने की तैयारियों को अंजाम देने जा रहा है। इसी के तहत पहले चरण में शहर के दो वार्डो को जीरों वेस्ट बनाने की तैयारी की जाएगी। इस संबध में बुधवार को आयोजित बैठक के दौरान निगम आयुक्त श्रीसोमनाथ झारिया ने संबधित शाखा प्रमुखों को दिशा निर्देश दिए है।

रतलाम को नंबर वन बनाएंगे

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में शहर के वार्ड 7 (अलकापुरी) और वार्ड 17(ईश्वरनगर)को जीरो वेस्ट वार्ड बनाए जाने की तैयारियों को अंतिम रुप दिया गया है। जीरों वेस्ट वार्ड बनाए जाने में नागरिकों को अब इतना करना है कि वे अपने घर, दुकान आदि के सामने हर दिन सुबह गीले व सूखे कचरे का पृथक्कीकरण कर रखे। यहां कचरा वाहन के साथ आने वाली स्वच्छता दीदी इन कचरा पात्रो की जांच करेगी। अगर गीला और सूखा कचरा अलग-अलग नही किया गया होगा तो ये इस कार्रवाई को पूरा करेगी और इन दोनो तरह के कचरों को अलग-अलग डाला जाएगा। इस दौरान रेग पिकर्स नागरिको को गीला और सूखा कचरा अलग-अलग रखने की समझाईश भी देगी। इन्हे सुरक्षा किट सहित अन्य साधन में भी मुहैया कराए जाएगे। इनके साथ आईईसी की टीम के सदस्य भी शामिल होगे।

खुले में कचरा नहीं होना चाहिए

बैठक के दौरान निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कहा कि हमारा मुख्य प्रयास ये ही है कि शहर के किसी भी कोने में खुले में कचरा नही होना चाहिए। जो कचरा फैकते है उनके खिलाफ स्पाट फाईन की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही समाप्त किए गए कचरा स्थलों पर रंगोली निर्माण और जागरुकता कार्यक्रमों का दौर भी जारी है। नष्ट किए गए कचरा स्थलो पर दोबारा कोई कचरा ना डाले इसके लिए लठैत भी तैनात किए गए है। उन्होने कहा कि सफाई और पानी का इंतजाम हम सबकी प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए ऐसे में सभी इन महत्वपूर्ण जरुरतो के लिए अपनी पूर्ण भागीदारी ईमानदारी से निभाए।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– अवन्तिका –पृष्ठ 14 दिनांक 05/03/2021

कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

'दैनिक अवन्तिका' ▶▶ रतलाम

कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड द्वारा जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1873 की धारा 144 शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आगामी 2 माह तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी किए गए आदेश के अनुसार सभी शासकीय कार्यालयों में मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। संपूर्ण नगरी क्षेत्रों में मास्क का उपयोग ना किए जाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाकर 100 रुपए का स्पॉट फाइन किया जाएगा और उसे 2 मास्क के दिए जाएंगे। चालानी कार्रवाई हेतु राजस्व पुलिस तथा नगरीय निकायों के अधिकारी, कर्मचारी अधिकृत रहेंगे। कोरोना से अधिक प्रभावित राज्यों जैसे महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की बॉर्डर पर ही चेकिंग की जाकर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। रेलवे स्टेशन पर आने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। मास्क नहीं पहनने वाले से 100 रुपए अर्थदंड हेतु रेलवे के अधिकारियों, कर्मचारियों को अधिकृत किया गया है।

बस स्टैंड पर आने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बस ऑपरेटर बस में बैठे सभी यात्रियों को मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराएंगे। शादी समारोह में आने वाले सभी व्यक्ति मास्क का उपयोग करेंगे, साथ ही कैटरर्स एवं अन्य सरविंग स्टॉफ आदि के कोरोना टेस्ट किए जाने के पश्चात ही कार्य पर लिया जाएगा।

इस बात का विशेष ध्यान संबंधित ठेकेदार, गार्डन संचालक द्वारा रखा जाएगा। मेले अथवा सार्वजनिक आयोजन के लिए एसडीएम तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर मौके की स्थिति अनुसार एसडीएम द्वारा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर आदि की अनिवार्यता के साथ अनुमति दी जाएगी। बैंकों तथा सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले के सभी संचालकों, दुकानदारों एवं ग्राहकों को फिजिकल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। आदेश का पालन नहीं किए जाने पर भारतीय दंड संहिता 18 60 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

अवन्तिका

कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश

मास्क अनिवार्य किया, पालन न करने पर स्पॉट फाईन होगा

स्वदेश

रतलाम ● स्वदेश समाचार

कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड द्वारा जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आगामी 2 माह तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी किए गए आदेश के अनुसार सभी शासकीय कार्यालयों में मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। संपूर्ण नगरीय क्षेत्रों में मास्क का उपयोग ना किए जाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाकर 100 रुपए का स्पॉट फाईन किया जाएगा और उसे 2 मास्क के दिए जाएंगे। चालानी कार्रवाई हेतु राजस्व पुलिस तथा नगरीय निकायों के अधिकारी, कर्मचारी अधिकृत रहेंगे। कोरोना से अधिक प्रभावित राज्यों जैसे महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की बॉर्डर पर ही चेकिंग की जाकर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। रेलवे स्टेशन पर आने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। मास्क नहीं पहनने वाले से 100 रुपए अर्थदंड हेतु रेलवे के अधिकारियों, कर्मचारियों को अधिकृत किया गया है।

बस स्टैंड पर आने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बस ऑपरेटर बस में बैठे सभी यात्रियों को मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराएंगे। शादी समारोह में आने वाले सभी व्यक्ति मास्क का उपयोग करेंगे, साथ ही केटरर्स एवं अन्य सरविंग स्टॉफ आदि के कोरोना टेस्ट किए जाने के पश्चात ही कार्य पर लिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान संबंधित ठेकेदार, गार्डन संचालक द्वारा रखा जाएगा। मेले अथवा सार्वजनिक आयोजन के लिए एसडीएम तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर मौके की स्थिति अनुसार एसडीएम द्वारा मास्क, दो गज की दूरी एवं सेनिटाइजर आदि की अनिवार्यता के साथ अनुमति दी जाएगी। बैंकों तथा सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क एवं दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले के सभी संचालकों, दुकानदारों एवं ग्राहकों को दो गज की दूरी, मास्क, सेनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। आदेश का पालन नहीं किए जाने पर भारतीय दंड संहिता 18 60 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कोरोना संक्रमण : दो गज की दूरी जरूरी

रतलाम में धारा-144 लागू, मास्क नहीं पहना तो कटेगा चालान, दो मास्क भी देंगे

भास्कर संवाददाता | रतलाम

कोरोना को लेकर गुरुवार को जिले में धारा-144 लगा दी। प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, इसके मुताबिक अब यदि आप बिना मास्क पहने पकड़े गए तो 100 रुपए का चालान काट दिया जाएगा, आपको दो मास्क भी देंगे। दुकानदारों और ग्राहकों के बीच भी दो गज की दूरी रखने की बात कही है।

कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने जिले में दो महीने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। शासकीय कार्यालयों में मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा। नगरी क्षेत्रों में मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर चालानी कार्रवाई कर 100 रुपए का स्पॉट फाइन करेंगे, चालानी कार्रवाई राजस्व, पुलिस व नगरीय निकाय के अधिकारी करेंगे। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की बॉर्डर पर चेकिंग की जाएगी, थर्मल स्कैनिंग करेंगे। रेलवे स्टेशन पर आने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग होगी।

बस में बैठने से पहले मास्क ले जाना होगा

- बस ऑपरेटर सभी यात्रियों को मास्क का उपयोग करवाएंगे।
- शादी समारोह में आने वाले सभी व्यक्ति मास्क का उपयोग करेंगे, साथ ही कैटरर्स व अन्य सरविंग स्टाफ के कोरोना टेस्ट होने के बाद ही काम में लिया जाएगा। इसका ध्यान ठेकेदार, गार्डन संचालक रखेंगे।
- सार्वजनिक आयोजन के लिए एसडीएम, तहसीलदार स्थल निरीक्षण करेंगे। एसडीएम द्वारा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर की अनिवार्यता के साथ अनुमति दी जाएगी।
- बैंकों व सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

भास्कर

संकलन—नगर निगम, रतलाम अखबार अग्निभाष --पृष्ठ 04 दिनांक 04/03/2021

वृंदावन बैकरी से 40 किलो पॉलीथीन जब्त कर 5000 का जुर्माना किया

14 व्यक्तियों पर स्पॉट फाइन कर 13 किलो पॉलीथीन जब्त

● रतलाम

शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

निर्देशानुसार निगम का स्पॉट फाईन दल द्वारा सज्जन मिल रोड स्थित वृंदावन बैकरी पंहुचने पर संचालक द्वारा पॉलीथीन जब्त करने में असहयोग करने पर कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम

उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ति व लगेगा दण्ड

गोपालचन्द डाड व निगम आयुक्त के निर्देशानुसार पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह व स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधित से 40 किलो पॉलीथीन जब्त कर 5000/- का जुर्माना

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित

किया। इसके अलावा तेजराम स्टेषन रोड पर 1500, लक्की जवाहर नगर पर 500, मन्नालाल गांधी नगर पर 300, अजय सिंह, सुनील, रितेश दीनदयाल नगर, गोपाल स्टेशन रोड, गौरव, पुष्पेन्द्र डाट की पुल व 4 अन्य पर पर 250-250 रूपये का जुर्माना कर भविश्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईश दी गई व लगभग 13 किलो पॉलीथीन जब्त की गई।

डोंगरे नगर में कम्यूनिटी हॉल का लोकार्पण

उपग्रह-५

रतलाम। डोंगरे नगर में नगर निगम द्वारा निर्मित कम्यूनिटी हॉल का भाजपा प्रदेश महामंत्री भगवानदास सबनानी, सांसद गुमानसिंह डामोर, विधायक चेतन्य काश्यप ने लोकार्पण किया। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्रसिंह लुनेरा, पूर्व जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, पूर्व एमआईसी सदस्य श्रीमती मनीषा मनोज शर्मा, मंडल अध्यक्ष दिनेश शर्मा, संतोष पोरवाल, जिला कार्यालय मंत्री मनोज शर्मा, नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया आदि उपस्थित थे।

बजट प्रावधान से रतलाम में चारों तरफ होंगी फोरलेन सड़कें

रतलाम। आने वाले समय में रतलाम के चारों तरफ फोरलेन सड़क सुविधा होगी। राज्य सरकार ने शेष बचे दो मार्गों को फोरलेन करने के लिए प्रदेश के वर्ष 2021-22 के बजट में राशि का प्रावधान कर दिया है। इससे सड़क मार्ग के साथ-साथ ओवरब्रिज व अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।

मंगलवार को विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट में रतलाम की सड़कों और ब्रिजों के लिए प्रारंभिक प्रावधान किया गया। बाद में कार्यों की लागत के मान से राशि जारी होगी। बजट प्रस्तावों पर चर्चा पश्चात भी राशि में परिवर्तन हो सकता है। विधायक चेतन्य काश्यप के अनुसार राज्य सरकार के बजट में रतलाम शहर के 10 किमी लंबे आंतरिक मार्गों के उन्नयन हेतु 850 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार रविदास चौक (करमदी नाका) से करमदी तक के तीन किमी लंबे मार्ग के निर्माण एवं जावरा रोड अंडरब्रिज से सेजावता फंटे तक पांच किमी लंबे फोरलेन के लिए क्रमशः 255 लाख व 425 लाख रुपये का प्राथमिक प्रावधान किया गया है।

गौरतलब है कि सैलाना की ओर से शहर में आने वाले मार्ग पर आरो आश्रम से राममंदिर तक व इससे आगे सैलाना बस स्टैंड से दो बत्ती चौराहे तक भी फोरलेन बन चुकी है। लेबड़-जावरा फोरलेन पर सालाखेड़ी से जावरा रोड अंडरब्रिज व फव्वारा चौक से कोर्ट तिराहे तक भी फोरलेन बनाई जा चुकी है। बाजना रोड पर बरोठ माता मंदिर से बाजना बस स्टैंड तक भी फोरलेन का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। करमदी नाका व जावरा रोड मार्ग के फोरलेन बनने के बाद इंदौर, मंदसौर, बांसवाड़ा, बाजना और झाबुआ से शहर में आने वाले सभी मार्ग फोरलेन हो जाएंगे। इससे यातायात सुगम हो जाएगा।

विधायक श्री काश्यप ने बताया कि बजट में रतलाम-जावरा रेल खंड पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित समपार पर आरओबी निर्माण के लिए 3200 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे अल्कोहल प्लांट की लगून भूमि पर विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र का सीधा संपर्क मुख्य मार्ग से होगा। रतलाम-गोधरा रेल खंड पर रतलाम-धोलावड़ रोड के मोरवनी के समीप स्थित समपार पर आरओबी निर्माण के लिए 2800 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे धोलावाड़ में विकसित हो रहे पर्यटन क्षेत्र में आवाजाही की सुविधा मिलेगी और रतलाम के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। ऊपाई-4

रतलाम को मिली सड़क मार्गों एवं ओव्हरब्रिज की सौगातें

रतलाम। म.प्र. विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट में रतलाम में सड़क मार्गों एवं ओव्हरब्रिज निर्माण के लिए 75 करोड़ से अधिक की राशि का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है। इससे नागरिकों को फोरलेन सड़क व ओव्हरब्रिज की सौगात मिलेगी। इससे यातायात सुगम होगा। विधायक चेतन्य काश्यप ने बताया कि राज्य सरकार के बजट में रतलाम शहर के 10 किमी लम्बे आंतरिक मार्गों के उन्नयन हेतु 850 लाख का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार रतलाम के रविदास चौक (करमदी नाका) से करमदी तक के 3 किमी लम्बे मार्ग के निर्माण एवं जावरा रोड अण्डरब्रिज से सेजावता फण्टे तक 5 किमी लम्बे फोरलेन मार्ग हेतु क्रमशः 255 लाख एवं 425 लाख रुपए का प्राथमिक प्रावधान किया गया है। श्री काश्यप ने बताया कि बजट में रतलाम-जावरा रेल खण्ड पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित समपार के आरओबी निर्माण हेतु 3200 लाख का प्राधान किया है। इससे अल्कोहल प्लांट की लगून भूमि पर विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र का सीधा संपर्क मुख्य मार्ग से होगा। रतलाम-गोधरा रेल खण्ड पर रतलाम-धोलावाड़ रोड पर मोरवनी के समीप स्थित समपार पर आरओबी निर्माण हेतु 2800 लाख का प्रावधान किया गया है। इससे धोलावाड़ में विकसित हो रहे पर्यटन क्षेत्र में आवाजाही की सुविधा मिलेगी और रतलाम के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इन्दौर-4

रतलाम को मिली सड़क और ओव्हरब्रिज की सौगातें

दबंग रिपोर्टर ■ रतलाम

बजट में 75 करोड़ से अधिक का प्रावधान- काश्यप

म.प्र. विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट में रतलाम में सड़क मार्गों एवं ओव्हरब्रिज निर्माण के लिए 75 करोड़ से अधिक की राशि का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है। इससे नागरिकों को फोरलेन सड़क व ओव्हरब्रिज की सौगात मिलेगी। इससे यातायात सुगम होगा।

विधायक चेतन्य काश्यप ने बताया कि राज्य सरकार के बजट में रतलाम शहर के 10 किमी लम्बे आंतरिक मार्गों के उन्नयन हेतु 8.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार रतलाम के रविदास चौक (करमदी नाका) से करमदी तक के 3 किमी लम्बे मार्ग के निर्माण एवं जावरा रोड अण्डरब्रिज से सेजावता फण्टे तक 5 किमी लम्बे फोरलेन मार्ग हेतु क्रमशः 2.55 करोड़ एवं 4.25 करोड़ रुपए का प्राथमिक प्रावधान किया गया है।

श्री काश्यप ने बताया कि बजट में रतलाम-जावरा रेल खण्ड पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित समपार के आरओबी निर्माण के लिए 32 करोड़ का प्रावधान किया है। इससे अल्कोहल प्लांट की लगून भूमि पर विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र का सीधा संपर्क मुख्य मार्ग से होगा। रतलाम-गोधरा रेल खण्ड पर रतलाम-धोलावाड़ रोड पर मोरवनी के समीप स्थित समपार पर आरओबी निर्माण के लिए 28 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे धोलावाड़ में विकसित हो रहे पर्यटन क्षेत्र में आवाजाही की सुविधा मिलेगी और रतलाम के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

दबंग-4

दीनदयाल अंत्योदय रसोई सिर्फ 10 रुपए में

भरपेट भोजन का लाभ ले रहे हैं गरीब-कमजोर तबके के लोग

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

संपूर्ण राज्य के साथ विगत 26 फरवरी को रतलाम मुख्यालय पर भी दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ हुआ। रतलाम में तीन स्थानों पर योजना का संचालन किया जा रहा है।

इस अद्भुत योजना से सिर्फ 10 रुपए में भरपेट भोजन का लाभ गरीब और कमजोर तबके के व्यक्तियों को मिल रहा है। यहां आकर भोजन करने वाले कहते हैं कि 10 रुपए में भरपेट भोजन की थाली यह तो हम सोच भी नहीं सकते थे। हमारी कल्पना से भी परे था कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी, कढ़ी से भरी थाली हमें सिर्फ 10 रुपए में मिल जाएगी। इस योजना के लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान का हृदय से धन्यवाद है। रतलाम में सिविक सेंटर पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया

गया था। सिविक सेंटर के अलावा त्रिपोलिया गेट और अंबेडकर भवन पर योजना संचालित की जा रही है।

भोजन बनाने का कार्य महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को सौंपा गया है। सिविक सेंटर पर भोजन बनाया जाता है और तीनों सेंटर पर भोजन परोसा जाता है। दीनदयाल अंत्योदय रसोई में आकर भोजन लाभ लेने वाले में विभिन्न वर्ग के व्यक्ति सम्मिलित हैं, इनमें स्टूडेंट भी है। बसों, मैजिक वाहनों पर कार्य करने वाले खलासी, आसपास के गांव से अस्पतालों में आने वाले व्यक्ति और मुख्य रूप से शहर के निर्धन, निराश्रित जिनके लिए यह योजना वरदान बनी है। रसोई का समय प्रातः 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का होता है।

अंबेडकर भवन स्थित दीनदयाल अंत्योदय रसोई पर आकर भोजन लेने वाले चेतन राठौड़, राहुल परिहार से जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि भोजन की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। 10 रुपए में इतने अच्छे भोजन की तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है, लेकिन इस कल्पना को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने साकार किया है। दीनदयाल अंत्योदय रसोई के लिए खाद्यान्न राज्य शासन की योजना अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान से मात्र 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

भोजन बनाने वाले समूह को प्रति थाली 5 रुपए अनुदान भी शासन की ओर से दिया जाएगा। भोजन बनाने वाली महिलाओं के समूह द्वारा पूरी सेवा भावना के साथ भोजन बनाने का कार्य किया जा रहा है। शहर के तीनों रसोई केंद्रों पर बरतन, टेबल-कुर्सियां एवं हाल नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराया गया है। विगत 26 फरवरी से आरंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय रसोई में अब तक 1000 से भी ज्यादा व्यक्ति भोजन लाभ ले चुके हैं।

प्रसारण

निकायों के खाते ई-नगरपालिका पोर्टल से होंगे लिंक

रतलाम. नगरीय निकायों के सभी खाते ई-नगरपालिका पोर्टल से लिंक किए जाएंगे। नगरीय निकायों के अनावश्यक बैंक खातों को बंद कर लेखा नियमों के अन्तर्गत प्रावधानित खाते ही संधारित किए जाएंगे। निकायों में आय-व्यय ई-नगरपालिका के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे। कैशबुक, बैलेंस शीट तथा लेखांकन संबंधी सभी कार्य ई-नगरपालिका पोर्टल से ही की जाएगी। नगरीय निकायों में एक ही कैशबुक संधारित की जाएगी तथा प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग लेजर संधारित की जाएगी। ऐसी योजनाएं जो अब नगरीय निकायों द्वारा संचालित नहीं की जा रही हैं, शेष राशि संबंधित विभाग व संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को वापस की जाएगी।

नगरीय निकायों के सभी खाते संचालनालय के ई-नगर पालिका पोर्टल से होंगे लिंक

रतलाम। नगरीय निकायों के सभी खाते ई–नगर पालिका पोर्टल से लिंक किए जाएंगे। नगरीय निकायों के अनावश्यक बैंक खातों को बंद कर लेखा नियमों के अन्तर्गत प्रावधानित खाते ही संधारित किए जाएंगे। अब नगरीय निकायों में सभी प्रकार के आय–व्यय ई–नगर पालिका के ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे। कैशबुक, बैलेंस शीट तथा लेखांकन संबंधी सभी कार्य ई–नगर पालिका पोर्टल से ही की जाएगी। नगरीय निकायों में एक ही कैशबुक संधारित की जाएगी तथा प्रत्येक योजना के लिए अलग–अलग लेजर संधारित की जाएगी। ऐसी योजनाएं जो अब नगरीय निकायों द्वारा संचालित नहीं की जा रही है, उनकी शेष राशि संबंधित विभाग अथवा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को वापस की जाएगी।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

अनुपस्थित 42 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

रतलाम। निगम के चारो झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में 3 मार्च बुधवार को बिना सूचना के 42 सफाई संरक्ष कों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निग म आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

अनुपस्थित 42 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

रतलाम। निगम के चारो झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में 03 मार्च बुधवार को बिना सूचना के 42 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में [illegible] जारी किया।

अनुपस्थित 42 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

रतलाम। निगम के चारो झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में 03 मार्च बुधवार को बिना सूचना के 42 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

अनुपस्थित 42 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

रतलाम। निगम के चारों झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में 3 मार्च बुधवार को बिना सूचना के 42 सफाई संरक्षको द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाए जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थायी कर्मचारियों को निलंबित किए जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार दबंग दुनिया पृष्ठ 10 दिनांक 04/03/2021

मध्यप्रदेश में निकाय चुनाव जल्द : आचार संहिता लागू होने का इंतजार

फाइनल वोटर लिस्ट जारी, नगरीय निकाय चुनाव 2 तथा पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराने की तैयारी

भोपाल » सिटी रिपोर्टर

मध्य प्रदेश में 407 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट 3 मार्च को जारी हो गई है। अब सिर्फ आचार संहिता लागू होने का इंतजार है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव 2 चरण और पंचायत चुनाव 3 चरण में कराने की तैयारी की है। संभावना है कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार वोटिंग का समय 1 घंटा बढ़ाया जा रहा है। यानी वोटिंग सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने इंदौर हाईकोर्ट में लिखित में बताया था कि 3 मार्च को वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी और आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है। हालांकि इससे पहले आयोग के आयुक्त बीपी सिंह ने कहा था कि अब चुनाव टाले नहीं जाएंगे। फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव की तारीखें घोषित की जाएंगी।

दरअसल, निकाय चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में जनहित याचिका लगाई गई थी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 25 फरवरी को आयोग को चुनाव कराने के आदेश दिए थे। कोर्ट में सरकार ने जवाब पेश करते हुए कहा था कि वह चुनाव कराने के लिए तैयार है। 3 मार्च को मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।

आयुक्त करेंगे कलेक्टरों से बात

आयुक्त बीपी सिंह चुनाव की तैयारियों को लेकर 6 मार्च को शाम 4 से 5:30 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों से चर्चा करेंगे। इसके बाद आचार संहिता लगने के साथ ही चुनावों की तारीखों की घोषणा होने की संभावना है।

सरपंच और पंच के लिए मतपत्र से मतदान

नगरीय निकाय चुनाव में नगर निगम महापौर, नगर पालिका व नगर परिषद अध्यक्ष एवं पार्षद तथा पंचायत निर्वाचन में जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य के लिए मतदान ईवीएम से होगा। सरपंच और पंच के लिए मतदान मतपत्र के माध्यम से होगा। इस बार चुनाव में सरपंच के अलावा सभी पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

इंदौर शहर की सरकार चुनेंगे 18 लाख से अधिक मतदाता

इंदौर। आगामी नगरीय निकाय चुनावों के लिए शहर के मतदाताओं की सूची का अंतिम प्रकाशन बुधवार को कर दिया गया है। हाल ही में कोर्ट में भी सरकार ने कहा था कि वह चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। जारी की गई अंतिम सूची के अनुसार आगामी नगर निगम चुनावों में 18 लाख 82 हजार 901 मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। इनमें से 9 लाख 62 हजार 694 पुरुष मतदाता हैं, वहीं 9 लाख 20 हजार 82 महिला मतदाता हैं। इस सूची में थर्ड जेंडर के 125 मतदाता हैं। अंतिम मतदाता सूची के अनुसार वार्ड 79 में सबसे ज्यादा 36183 मतदाता हैं, वहीं वार्ड 36 में सबसे कम 13715 मतदाता हैं। इनमें से कुछ मतदाताओं के नाम पर आपत्ति जताई गई थी, उन्हें इस अंतिम सूची से हटा दिया गया है। कुछ मतदाता यहां से चले गए हैं, तो कुछ नए नाम भी शामिल किए गए हैं। कई युवा आगामी नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चले मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 85 वार्डों में कुल 12649 मतदाता परिवर्धित हुए। विलोपित मतदाता की संख्या 10336 है एवं संशोधित मतदाता की संख्या 148 है। इस सूची के आधार पर आगामी निगम चुनाव होना है।

मतदाता संख्या का अंतिम प्रकाशन किया गया

रतलाम। जिले में नगरीय निकायों तथा जनपद पंचायत क्षेत्रों के मतदाताओं की सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है। जिले के जनपद पंचायत क्षेत्रों में गत वर्ष की तुलना में मतदाताओं की संख्या में 18728 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। इसी तरह नगरी क्षेत्रों में गत वर्ष की तुलना में 6994 मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतिम प्रकाशन 2021 के तहत जिले की जनपद पंचायत रतलाम के मतदाताओं की संख्या 192318 है, यहां 3110 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह जनपद पंचायत आलोट में 129730 मतदाता है, यहां 4820 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। जनपद पंचायत जावरा में 115047 मतदाता है, यहां 2793 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। जनपद पंचायत सैलाना में 85231 मतदाता है, यहां 2793 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। जनपद पंचायत बाजना में 108381 मतदाता है, यहां 2870 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। जनपद पंचायत पिपलोदा में 9601 मतदाता है, यहां 2232 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है।

नगरीय निकायों में मतदाताओं की स्थिति–अंतिम प्रकाशन 2021 के अनुसार रतलाम शहर में 218947 मतदाता है, यहां 3987 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। जावरा में 54281 मतदाता है, यहां 1049 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। आलोट में 17931 मतदाता है, यहां 597 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। ताल में 11752 मतदाता है, यहां 447 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। बड़ावदा में से 1080 मतदाता है, यहां 241 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। पिपलोदा में 6085 मतदाता है यहां 143 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। सैलाना में 8704 मतदाता है, यहां 241 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। धामनोद में 6241 मतदाता है, यहां 138 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। नामली में 8275 मतदाता है यहां 151 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। SnGR 4

शहर के वार्डों को जीरो वेस्ट बनाने की तैयारियां शुरु

- वार्ड 7 और 17 को जीरो वेस्ट बनाने से होगी शुरूआत - स्वच्छता दीदी जाकर करेंगी गीले-सूखे कचरे का पृथक्कीकरण

प्रसारण न्यूज • रतलाम

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत रतलाम शहर को स्वच्छता की दौड़ में अव्वल बनाने के प्रयासों के चलते नगर निगम शहर के वार्डों को जीरो वेस्ट बनाने की तैयारियों को अंजाम देने जा रहा है। इसी के तहत पहले चरण में शहर के दो वार्डों को जीरो वेस्ट बनाने की तैयारी 4 मार्च गुरुवार से की जाएगी। इस संबध में बुधवार को आयोजित बैठक के दौरान निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने संबंधित शाखा प्रमुखों को दिशा निर्देश दिए है।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में शहर के वार्ड 7 (अलकापुरी) और वार्ड 17 (ईश्वर नगर)को जीरो वेस्ट वार्ड बनाए जाने की तैयारियों को अंतिम रुप दिया गया है। जीरो वेस्ट वार्ड बनाए जाने में नागरिकों को अब इतना करना है कि वे अपने घर, दुकान आदि के सामने हर दिन सुबह गीले व सूखे कचरे का पृथक्कीकरण कर रखे। यहां कचरा वाहन के साथ आने वाली स्वच्छता दीदी इन कचरा पात्रों की जांच करेगी। अगर गीला और सूखा कचरा अलग-अलग नहीं किया गया होगा तो वह इस कार्रवाई को पूरा करेगी और इन दोनों तरह के कचरों को अलग-अलग डाला जाएगा।

इस दौरान रेग पिकर्स नागरिकों को गीला और सूखा कचरा अलग-अलग रखने की समझाईश भी देंगी। इन्हें सुरक्षा किट सहित अन्य साधन में भी मुहैया कराए जाएंगी। इनके साथ आईईसी की टीम के सदस्य भी शामिल होंगे।

बैठक के दौरान निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कहा कि हमारा मुख्य प्रयास ये ही है कि शहर के किसी भी कौने में खुले में कचरा नही होना चाहिए। जो कचरा फेंकते है, उनके खिलाफ स्पाट फाईन की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही समाप्त किए गए कचरा स्थलों पर रांगोली निर्माण और जागरुकता कार्यक्रमों का दौर भी जारी है। नष्ट किए गए कचरा स्थलों पर दोबारा कोई कचरा ना डाले इसके लिए लठैत भी तैनात किए गए है।

उन्होंने कहा कि सफाई और पानी का इंतजाम हम सबकी प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए, ऐसे में सभी इन महत्वपूर्ण जरुरतों के लिए अपनी पूर्ण भागीदारी ईमानदारी से निभाएं।

आयोजित बैठक में उपायुक्त विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द व्यास, जी.के. जायसवाल, स्वच्छता कनसलटेंट श्री प्रतीक मिश्रा, सहायक यंत्री श्याम सोनी, एम.के. जैन, निगम सचिव जसवन्त जोशी, जलप्रदाय विभाग प्रभारी सत्यप्रकाश आचार्य, स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, उद्यान प्रभारी अरविन्द दशोत्तर उपयंत्री अनवर कुरैशी, राजेश पाटीदार, विकास मरकाम, मनीष तिवारी, दीक्षा निजामपुरकर, मनीष तिवारी, सिद्धार्थ सोनी, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, श्रीमती अनिता ठाकुर, स्टेनोग्राफर प्रमोद तिवारी, सिटी मैनेजर कपील मारोठिया, नितिन तिवारी, कार्यालय अधीक्षक रामचन्द्र शर्मा, बी.एल. चावरे, सहायक राजस्व निरीक्षक बलवन्त राठौर, झोन प्रभारी किशन चौहान, पर्वत हाडे, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक आदि उपस्थित रहे।

प्रसारण

कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

रतलाम। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड द्वारा जिले में दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आगामी 2 माह तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी किए गए आदेश के अनुसार सभी शासकीय कार्यालयों में मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। संपूर्ण नगरी क्षेत्रों में मास्क का उपयोग ना किए जाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाकर 100 रुपए का स्पॉट फाइन किया जाएगा और उसे 2 मास्क के दिए जाएंगे। चालानी कार्रवाई हेतु राजस्व पुलिस तथा नगरीय निकायों के अधिकारी, कर्मचारी अधिकृत रहेंगे। कोरोना से अधिक प्रभावित रा%यों जैसे महाराष्ट्र एवं अन्य रा%यों से आने वाले यात्रियों की बॉर्डर पर ही चेकिंग की जाकर थर्मल स्कीनिंग की जाएगी। रेलवे स्टेशन पर आने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्कीनिंग होगी। मास्क नहीं पहनने वाले से 100 रुपए अर्थदंड हेतु रेलवे के अधिकारियों, कर्मचारियों को अधिकृत किया गया है। बस स्टैंड पर आने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्कीनिंग होगी।

बस ऑपरेटर बस में बैठे सभी यात्रियों को मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराएंगे। शादी समारोह में आने वाले सभी व्यक्ति मास्क का उपयोग करेंगे, साथ ही कैटरर्स एवं अन्य सरविंग स्टॉफ आदि के कोरोना टेस्ट किए जाने के पश्चात ही कार्य पर लिया जाएगा।

इस बात का विशेष ध्यान संबंधित ठेकेदार, गार्डन संचालक द्वारा रखा जाएगा। मेले अथवा सार्वजनिक आयोजन के लिए एसडीएम तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर मौके की स्थिति अनुसार एसडीएम द्वारा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर आदि की अनिवार्यता के साथ अनुमति दी जाएगी। बैंकों तथा सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले के सभी संचालकों, दुकानदारों एवं ग्राहकों को फिजिकल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश

रतलाम। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड द्वारा जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आगामी 2 माह तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी किए गए आदेश के अनुसार सभी शासकीय कार्यालयों में मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। संपूर्ण नगरी क्षेत्रों में मास्क का उपयोग ना किए जाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाकर 100 रुपए का स्पॉट फाइन किया जाएगा और उसे 2 मास्क के दिए जाएंगे। चालानी कार्रवाई हेतु राजस्व पुलिस तथा नगरीय निकायों के अधिकारी, कर्मचारी अधिकृत रहेंगे। कोरोना से अधिक प्रभावित राज्यों जैसे महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की बॉर्डर पर ही चेकिंग की जाकर थर्मल स्कीनिंग की जाएगी। रेलवे स्टेशन पर आने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्कीनिंग होगी। मास्क नहीं पहनने वाले से 100 रुपए अर्थदंड हेतु रेलवे के अधिकारियों, कर्मचारियों को अधिकृत किया गया है। बस स्टैंड पर आने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्कीनिंग होगी। बस ऑपरेटर बस में बैठे सभी यात्रियों को मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराएंगे। शादी समारोह में आने वाले सभी व्यक्ति मास्क का उपयोग करेंगे, साथ ही कैटरर्स एवं अन्य सरविंग स्टॉफ आदि के कोरोना टेस्ट किए जाने के पश्चात ही कार्य पर लिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान संबंधित ठेकेदार, गार्डन संचालक द्वारा रखा जाएगा। मेले अथवा सार्वजनिक आयोजन के लिए एसडीएम तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर मौके की स्थिति अनुसार एसडीएम द्वारा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर आदि की अनिवार्यता के साथ अनुमति दी जाएगी। बैंकों तथा सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले के सभी संचालकों, दुकानदारों एवं ग्राहकों को फिजिकल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। आदेश का पालन नहीं किए जाने पर भारतीय दंड संहिता 18 60 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने अगले दो माह के लिए जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. कोरोना से बचाव एवं रोकथाम को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड द्वारा जिले में आगामी 2 माह तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। उक्त आदेश के अनुसार सभी शासकीय कार्यालयों में मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। संपूर्ण नगरीय क्षेत्रों में मास्क का उपयोग ना किए जाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाकर 100 रुपए का स्पॉट फाइन किया जाएगा और उसे 2 मास्क के दिए जाएंगे।

आदेश में बताया गया कि चालानी कार्रवाई के लिए राजस्व पुलिस तथा नगरीय निकायों के अधिकारी, कर्मचारी अधिकृत रहेंगे। कोरोना से अधिक प्रभावित राज्यों जैसे महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की बॉर्डर पर ही चेकिंग की जाकर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। रेलवे स्टेशन पर आने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। मास्क नहीं पहनने वाले से 100 रुपए अर्थदंड के लिए अधिकृत किया गया है।

बस स्टैंड पर आने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बस ऑपरेटर बस में बैठे सभी यात्रियों को मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराएंगे। शादी समारोह में आने वाले सभी व्यक्ति मास्क का उपयोग करेंगे, साथ ही कैटरर्स एवं अन्य सरविंग स्टॉफ आदि के कोरोना टेस्ट किए जाने के पश्चात ही कार्य पर लिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान संबंधित ठेकेदार, गार्डन संचालक द्वारा रखा जाएगा।

नहीं माने तो होगी कार्रवाई

मेले व सार्वजनिक आयोजन के लिए एसडीएम तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर मौके की स्थिति अनुसार एसडीएम द्वारा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर आदि की अनिवार्यता के साथ अनुमति दी जाएगी। बैंकों तथा सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले के सभी संचालकों, दुकानदारों एवं ग्राहकों को फिजिकल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। आदेश का पालन नहीं किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

शहर के वार्डों को जीरों वेस्ट बनाने की तैयारियां शुरु

वार्ड 7 और 17 को जीरो वेस्ट बनाने से होगी शुरूआत, स्वच्छता दीदी जाकर करेंगी गीले-सूखे कचरे का पृथक्कीकरण

● रतलाम

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत रतलाम शहर को स्वच्छता की दौड़ में अव्वल बनाने के प्रयासों के चलते नगर निगम शहर के वार्डों को जीरों वेस्ट बनाने की तैयारियों को अंजाम देने जा रहा है। इसी के तहत पहले चरण में शहर के दो वार्डों को जीरों वेस्ट बनाने की तैयारी की जाएगी। इस संबध में बुधवार को आयोजित बैठक के दौरान निगम आयुक्त श्रीसोमनाथ झारिया ने संबधित शाखा प्रमुखों को दिशा निर्देश दिए है।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में शहर के वार्ड 7 (अलकापुरी) और वार्ड 17(ईश्वरनगर)को जीरो वेस्ट वार्ड बनाए जाने की तैयारियों को अंतिम रुप दिया गया है। जीरों वेस्ट वार्ड बनाए जाने में नागरिकों को अब इतना करना है कि वे अपने घर, दुकान आदि के सामने हर दिन सुबह गीले व सूखे कचरे का पृथक्कीकरण कर रखे। यहां कचरा वाहन के साथ आने वाली स्वच्छता दीदी इन कचरा पात्रों की जांच करेगी। अगर गीला और सूखा कचरा अलग-अलग नहीं किया गया होगा तो वे इस कार्रवाई को पूरा करेगी और इन दोनों तरह के कचरों को अलग-अलग डाला जाएगा।

इस दौरान रेग पिकर्स नागरिकों को गीला और सूखा कचरा अलग-अलग रखने की समझाईश भी देगी। इन्हे सुरक्षा किट सहित अन्य साधन में भी मुहैया कराए जाएगें। इनके साथ आईईसी की टीम के सदस्य भी शामिल होगें। बैठक के दौरान निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कहां कि हमारा मुख्य प्रयास ये ही है कि शहर के किसी भी कोने में खुले में कचरा नही होना चाहिए। जो कचरा फेकते है उनके खिलाफस्पाट फाईन की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही समाप्त किए गए कचरा स्थलों पर रांगोली निर्माण और जागरुकता कार्यक्रमों का दौर भी जारी है। नष्ट किए गए कचरा स्थलों पर दोबारा कोई कचरा ना डाले इसके लिए लठैत भी तैनात किए गए है। उन्होने कहां कि सफाई और पानी का इंतजाम हम सबकी प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए ऐसे में सभी इन महत्वपूर्ण जरुरतों के लिए अपनी पूर्ण भागीदारी ईमानदारी से निभाए।

वार्ड 7 और 17 को जीरो वेस्ट बनाने से शुरूआत

स्वच्छता दीदी जाकर करेंगी गीले-सूखे कचरे को अलग

रतलाम. स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के अंतर्गत शहर को स्वच्छता की दौड़ में अव्वल बनाने के प्रयासों के चलते निगम शहर के वार्डों को जीरों वेस्ट बनाने की तैयारियों को अंजाम देने जा रहा है। पहले चरण में शहर के दो वार्डों को जीरों वेस्ट बनाने की तैयारी गुरुवार से शुरू हो गई। बैठक के दौरान निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने संबधित शाखा प्रमुखों को दिशा निर्देश दिए हैं।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में शहर को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में शहर के वार्ड 7 (अलकापुरी) और वार्ड 17 (ईश्वरनगर) को जीरो वेस्ट वार्ड बनाए जाने की तैयारियों को अंतिम रुप दिया है। नागरिक अपने घर, दुकान आदि के सामने हर दिन सुबह गीले व सूखे कचरे को अलग कर रखे। कचरा वाहन के साथ आने वाली स्वच्छता दीदी इन कचरा पात्रों की जांच करेगी। गीला और सूखा कचरा अलग-अलग नहीं किया होगा तो दोनों तरह के कचरों को अलग-अलग डाला जाएगा। इस दौरान रेग पिकर्स नागरिकों को गीला और सूखा कचरा अलग-अलग रखने की समझाईश भी देंगे।

आयुक्त झारिया ने कहा कि शहर के किसी भी कोने में खुले में कचरा नहीं होना चाहिए। जो कचरा फेंकते हैं उनके खिलाफ स्पॉट फाईन कार्रवाई की जा रही है। नष्ट किए गए कचरा स्थलों पर दोबारा कोई कचरा ना डाले इसके लिए लठैत भी तैनात किए गए हैं। उपायुक्त विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, जीके जायसवाल, प्रतीक मिश्रा, श्याम सोनी, एमके जैन, जलप्रदाय विभाग प्रभारी सत्यप्रकाश आचार्य, स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, उद्यान प्रभारी अरविन्द दशोत्तर सहित अन्य उपस्थित थे।

पत्रिका